

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांक:-ई-12/एम/(86)न.सू.पद/2010/

दिनांक:-

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राज0 ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में चयनित 365 सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप शसन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक: प. 17(31)/चि.स्वा./ग्रुप-2/07 दिनांक शुन्य के द्वारा चयनित 365 सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने के अनुसरण में वार्ड बॉय के 102 पदों (2000/- रु प्रतिमाह) के सृजन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 1962 पर दी सहमति में अंकित शर्तों के साथ दी गई थी ।

वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 1962 पद दी गई सहमति में अंकित शर्तों के साथ संबंधित से नवीन अनुबन्ध करने की शर्त सहित दिनांक 1.9.09 से 6 माह तक स्वीकृति बढ़ाये जाने की सहमति वित्त (व्यय-1)विभाग की आई.डी.संख्या 101001059 दिनांक 29.3.10 के द्वारा प्रदान की गई है ।

अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।

क्रमांक:-ई-12/एम/(86)न.सू.पद/2010/ 328

दिनांक:- 21-4-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, राज0 जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
4. उप शसन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राज0 जयपुर ।
5. उप शासन सचिव, वित्त(व्यय) विभाग, राज0 जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय/उप विधि परामर्शी, मुख्यालय ।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राज0 ।
8. कार्यालय अधीक्षक, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय ।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, क0न0 302, मुख्यालय ।

विभागीय चिकित्सा
पर डालें।

अति0 निदेशक(प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर ।